न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डा0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–37 / 2024 आरसीएमएस पॉर्टल नम्बरः– 2024 / 246

उनवानः–

पुष्पादेवी पत्नि श्री अशोक कुमार जाति त्यागी निवासी कस्बा मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर

––––प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनियां जिला धौलपुर

–––––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

उपस्थिति – 1. सुश्री इन्द्रा शर्मा एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से

दिनांक 03.02.2025

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया आराजी खसरा नम्बर 2481 / 1866 रकवा 0.1012 है0 वाके ग्राम मनियां की अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा काबिज काश्त होकर फसल प्राप्त कर रही है। प्रार्थिया की खातेदारी के खसरा नम्बर 2481 / 1866 वाके ग्राम मनियां की उत्तरी दिशा में खसरा नम्बर 1867 / 560 किस्म बरानी सोयम वाके ग्राम मनियां स्थित है तथा 1867 / 560 वाके ग्राम मनियां सरकार के नाम दर्ज है। ख.नं. 1867 / 560 को प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में यथास्थान लाल रंग से दर्शित किया है जो नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 2481 / 1866 आदि के लिए कृषि कार्य हेतु आवागमन हेतु तथा जुताई बुबाई करने के लिए ट्रेक्टर आदि ले जाने का तथा फसल पैदावर लाने ले जाने का कोई भी रास्ता नही है। प्रार्थीया की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि 2481 / 1866 आदि के लिए सबसे नजदीकी एंव प्रार्थिया की आराजी से लगा हुआ ख.नं. 1867 / 560 है तथा खसरा नम्बर 2481 / 1866 पर आवागमन करने के लिए खसरा नम्बर 1867 / 560 ग्राम मनियां में से प्रार्थीया 30 फुट चौडा व लम्बाई 22.6 फुट रास्ता कीमतन प्राप्त करना चाहती है। अतः ख.नं. 1867 / 560 वाके ग्राम मनियां मे से 30 फुट चौडा व 22.6 फुट लम्बा रास्ता मुताबिक संलग्न प्रार्थना पत्र रेखाकिंत

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

रंग लाल को कीमतन नियमानुसार प्रदान किया जावे तथा रास्ता भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2076–79 खाता संख्या 1065, 61 वाके ग्राम मनियां, नक्शा ट्रेस ख.नं. 2481 / 1866 व 1867 / 560 वाके ग्राम मनियां पेश किए।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार मनियां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मनियां ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 26.11.2024 में ख.नं. 2481 / 1866 वाके ग्राम मनियां में ट्रेक्टर आदि से पहुंचने हेतु सिवायचक ख.नं. 1867 / 560 में से 30 X 22.5 वर्ग फुट रास्ता उत्तर–पश्चिम की दिशा में दिया जाना उचित बताया है।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया को सुना गया। वकील प्रार्थीया ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी ख.नं. 1867 / 560 में से 30 फुट चौडा पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने का कथन किया।

वकील प्रार्थिया को सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत अपनी खातेदारी आराजी तक पहुचने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि में से होकर रास्ता चाहा है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6)विभाग के परिपत्र प03(52)राज–6 / 12 / 4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार :–

"यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जावे कि मार्ग की आवश्यकता है एंव खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप– नियम 1 के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूट से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौडा नही होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावेगी उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।"

पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एंव रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर आराजी ख.नं. 1867 / 560 वाके ग्राम मनियां से आ0ख0नं0 2481 / 1866 वाके ग्राम मनियां तक पहुंचने हेतु राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र प03(52)राज–6 / 12 / 4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के तहत तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट में प्रदर्शित प्रस्तावित रास्ते अनुसार ख.नं. 1867 / 560 वाके ग्राम मनियां के उत्तर पश्चिम कॉर्नर की ओर से निकटतम रूट से अधिकतम 30 फीट चौडा रास्ता प्रदत्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार मनियां से प्राप्त रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

रहेगी। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई यह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावेगी तथा उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। **तहसीलदार मनियां को निर्देश दिए जाते है कि रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से पूर्व राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप– नियम 1 के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीया से प्राप्त कर राजकोष में जमा करा लिया जावे तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि ख.नं. 2481/1866 वाके ग्राम मनियां तक पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है।**

निर्णय प्रति तहसीलदार मनियां को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर